Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

208-2025/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 16, 2025 (AGRAHAYANA 25, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 16th December, 2025

No. 29-HLA of 2025/70/28817.— The Haryana Shri Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine (Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 29-HLA of 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram) Beri Shrine Act, 2022.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine (Amendment) Act, 2025. Short title.

2. For clause (b) of section 8 of the Haryana Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine Act, 2022, the following clause shall be substituted, namely:- Amendment of section 8 of Haryana Act 25 of 2025.

"(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The clause (b) of Section 8 of the Act disqualifies any person who is "of unsound mind and stands so declared by a competent Court or is a deaf, mute or is suffering from contagious leprosy or any virulent contagious disease" from being nominated as a Member of the Board. The Act was enacted in the year 2025. In compliance of Supreme Court directions dated 07.05.2025 passed in W.P. (c) No. 83 of 2010 titled Federation of Lepy. Organ. (FOLO) Vs. Union of India and in view with the change in the social structure where now physically challenged and terminally ill persons command great acceptability and respect in the society, to continue with the said provision appears unwarranted.

2. Hence, it is necessary to carry out amendment in the Haryana Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine Act, 2022 (25 of 2025) by way of enacting the Haryana Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine (Amendment) Bill, 2025.

VIPUL GOEL,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 16th December, 2025.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 29–एच०एल०ए०

हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल (संशोधन) विधेयक, 2025

हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल अधिनियम, 2022 को आगे संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल अधिनियम, 2022 की धारा 8 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– 2025 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 8 का संशोधन।

"(ख) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;" ।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (ख) के अनुसार किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा ''यदि यह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो चुका है या यदि वह बहरा, गूंगा या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से पीड़ित है।'' फेडरेशन ऑफ लेपि. ऑर्गन (फोलो) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया शीर्षक वाले डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 83/2010 में पारित दिनांक 07.05.2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2025 में यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था तथा सामाजिक सरंचना में बदलाव के साथ, जहां अब शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समाज में स्वीकार्य और सम्मानित है, उक्त प्रावधान को जारी रखना अनुचित है।

2. इसलिये, यह आवश्यक है कि हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल अधिनियम, 2022 (2025 का 25) में हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल (संशोधन) विधेयक, 2025 के द्वारा संशोधन किया जाये।

विपुल गोयल,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 दिसम्बर, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

12279—H.V.S.—H.G.P., Pkl.